8 जनवरी, 2021

उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायतों) के लिए 'पंचायती राज व्यवस्था: विकेंद्रीकृत लोकतन्त्र का सशक्तिकरण' विषय पर "पहुँच और परिचय कार्यक्रम"

- मुझे उत्तराखंड की जिला पंचायतों के सदस्यों, चेयरपर्सन्स और वाइस चेयरपर्सन्स के लिए 'विकेंद्रीकृत लोकतन्त्र का सशक्तिकरण' विषय पर आयोजित किए जा रहे "पहुँच और परिचय कार्यक्रम" में, आप सभी के बीच आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

- उत्तराखंड की भूमि पुण्य भूमि है, देव भूमि है। यह भूमि सदियों से तपस्वियों और हमारे ऋषि मनीषियों की तपोभूमि रहा है। यह भूमि हमारी पवित्र नदियों गंगा-यमुना का उद्गम स्थल भी है, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थस्थल भी यहां के वातावरण को पवित्र बनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का प्रवास हमें मानसिक और शारीरिक रूप से एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव कराता है।

- आज हम यहां पर इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि देश में ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक अपने लोकतंत्र को किस प्रकार सशक्त, मजबूत और जवाबदेह बनाएं ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षा, आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

- हमारा लोकतंत्र सदियों पुराना है। गांवों में ग्राम सभा एवं समिति के माध्यम से शासन की व्यवस्था की हमारी लोकतांत्रिक परंपरा रही है जब गांव के लोग सामूहिक रूप से बैठकर निर्णय करते थे। उन फैसलों अथवा निर्णयों को सभी लोग स्वीकार करते थे। यह हमारी वैदिक लोकतांत्रिक परम्परा की विरासत रही हैं। इसलिए हमारे लोकतंत्र की अवधारणा बहुत मजबूत एवं सशक्त है और वैदिक काल से ही चली आ रही है।

- इसी प्रकार की लोकतांत्रिक परंपरा का साक्ष्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु में चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरामेरुर नाम के गांव में मिलता है जहां चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुडुंबु में विभाजित किया जाता था, जिनको हम आज वार्ड कहते हैं। इन कुडुंबुओं से एक एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था। इस गांव में एक हजार वर्ष पूर्व जो महासभा लगती थी, उसके साक्ष्य आज भी वहां मौजूद हैं।

- आजादी के बाद लोकतंत्र को मजबूत, सशक्त, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। यही कारण है कि आज हमारे यहां ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव सम्पन्न होते हैं। जनता द्वारा चुने हुए लोग फैसले करते हैं, निर्णय करते हैं और उन फैसलों व निर्णयों को कार्यपालिका लागू करती है।

- हमारे देश में चाहे लोक सभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो, चुनाव परिणाम के पश्चात् सत्ता हस्तांतरण हमेशा सुचारू रूप से और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार ही हुआ है। यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है क्योंकि हमारे संविधान बनाने वाले मनीषियों ने संविधान बनाते समय जनता को केन्द्र में रखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की थी। यही शाश्वत भावना हमारे लोकतंत्र की ताकत है और इसे मजबूत और सशक्त रखती है।

- देश में पंचायती राज की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में 73वां संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को व्यापक रूप से अधिकार एवं दायित्व प्रदान किए गए हैं।

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में बसती है। उनका सपना था कि हमारे गांव सुशासन और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बनें। गांव के अंदर सामूहिक निर्णय गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से गांधी जी के इस सपने को साकार करने का प्रयास किया गया है।

- उत्तराखंड एक पहाडी राज्य है और यहां आबादी दूर-दूर तक अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। इसके बावजूद यहां ग्राम पंचायतों को अपने विकास संबंधी निर्णय लेने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं ताकि यहां के ग्रामवासी अपनी आवश्यकतानुसार निर्णय कर सकें।

- यही कारण है कि यहां साक्षरता, गरीबी, मौलिक सुविधाओं जैसे बिजली तथा सुदूर क्षेत्रों में रोड नेटवर्क के विकास और हर घर में जल पहुंचाने के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है और लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम हुआ है।

- आज हम यहां पर सामूहिक रूप से इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत का लोकतांत्रिक तरीके से संचालन के विषयों पर व्यापक रूप से अपने विचार एवं अनुभव साझा करें। यहां हम सामूहिक निर्णय की अपनी प्राचीन परंपराओं को और अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के संबंध में चर्चा करेंगे।

- ग्राम सभा की बैठक को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नियमों का विकास करने की आवश्यकता है। जब भी ग्राम सभा की बैठक निर्धारित हो, उसकी अग्रिम सूचना गांव के सभी लोगों को सात दिन या जितनी अवधि आवश्यक हो, पहले दी जाए। ग्राम सभा के अंदर सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

- जब ग्राम सभा की मीटिंग के लिए एक निश्चित एजेंडा तय किया जाए, उसमें गांव के विकास के लिए एक साल की अल्पकालिक एवं 5 साल की दीर्घकालिक योजनाओं का निर्धारण किया जाए। ग्राम सभा की संपूर्ण अवधि के लिए विकास का एजेंडा भी उसमें तय किया जाए।

- एक ग्राम पंचायत में विशेषकर उन गांवों का चुनाव किया जाए जो पिछडे हों तथा जहां सुविधाओं का अभाव हो। ऐसे गांवों के लिए विकास की योजना बनाने पर चर्चा हो। इसमें सभी लोग अपने सुझाव रखें और एक साल, दो साल एवं पांच साल की अवधि के लिए विकास का मास्टर प्लान बनाया जाए।

- निधियों के उपयोग के संबंध में भी व्यापक चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएं कि विकास के किन महत्वपूर्ण कार्यों पर धन का व्यय करना है। इसी भावना के अनुसार ग्राम सभा में इन विषयों पर विचार एवं चर्चा हो तथा उसके उपरांत सामूहिक निर्णय लिए जाएं।

- ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुखों, एनआरएम सेंटर के अधिकारियों, स्थानीय आंगनबाडी केंद्र के संचालकों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे व्यापक चर्चा के बाद क्षेत्र के लिए विकास की योजना को अंतिम रूप दिया जाए।

- प्रत्येक बैठक के बाद उसमें लिए गए निर्णयों में हुई प्रगति की अगली बैठक में समीक्षा की जाए ताकि यह आकलन किया जा सके कि हम उस ग्राम पंचायत के सामूहिक फैसलों और सामूहिक निर्णयों को किस स्तर तक लागू कर पाए हैं। तभी हम आवश्यकता के अनुरूप विकास के कामों को आगे बढा पाएंगे और हम पंचायती राज के माध्यम से विकास के काम कर पाएंगे।

- ग्राम पंचायतों के द्वारा जिला परिषद् में जो प्रस्ताव भेजे जाएं, वह ग्राम पंचायतों की बैठकों में हुई व्यापक चर्चा पर आधारित हो। ग्राम सभाओं में अधिकतम लोगों की भागीदारी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

- क्षेत्रीय पंचायतों की बैठक भी आवश्यक अग्रिम सूचना के बाद होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसमें भाग ले सकें एवं अनुभव साझा कर सकें। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि क्षेत्रीय पंचायत की निर्धारित बैठक के पूर्व सभी माननीय सदस्य अपने बी.डी.ओ. को विभाग वार समस्याएं भेजें और फिर उनसे उस संबंध में उत्तर प्राप्त करें।

- क्षेत्रीय पंचायत की बैठक का पहला घंटा उच्च सदन के प्रश्नकाल की तरह होना चाहिए। इस अवधि में माननीय सदस्य, विविध विभागों से संबंधित प्रश्न पूछें। इन प्रश्नों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार प्रति बैठक में 15 से 20 अलग अलग विभागों से संबंधित प्रश्न लिए जाएं जिनका जवाब पंचायत की बैठक में संबंधित अधिकारी दें।

- बैठक का दूसरा घंटा उन विभागों पर केन्द्रित किया जा सकता है जिनमें अधिक समस्याएं हैं। इस समय सभी माननीय सदस्य उन विभागों पर चर्चा केंद्रित करें तथा उस विभाग के संबंधित अधिकारी उन प्रश्नों का उत्तर दें।

- क्षेत्रीय पंचायत की बैठक का तीसरा घंटा उच्च सदन के शून्य काल की तरह होना चाहिए जिसमें शेष बचे विभागों से संबंधित मुद्दे एवं अन्य समस्याओं पर चर्चा की जाए तथा संबंधित अधिकारी बैठक में उठाए गए मुद्दों का उत्तर दें।

- इसी प्रणाली का अनुसरण जिला पंचायत की बैठकों में भी किया जाना चाहिए। यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन प्रश्नों के जवाब लॉटरी में नहीं आए, उनका लिखित उत्तर माननीय सदस्यों को भेजा जाए।

- हमारी कोशिश होनी चाहिए कि क्षेत्रीय पंचायत में सार्थक चर्चा एवं विचार विमर्श हो तथा सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचारों को एक दूसरे से साझा करें ताकि उन सफल नवाचारों को दूसरे ग्राम पंचायतों में भी दोहराया जा सके।

- उत्तराखंड प्रांत को 'आत्मनिर्भर भारत' के मॉडल के रूप में तैयार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहां पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं।

- यहां पाई जाने वाली जडी-बूटियां, औषधियां, पहाडों पर मिलने वाले स्वास्थ्य उत्पाद, स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुएं, इत्यादि इन सबके लिए एक उपयुक्त मार्केटिंग प्लान तैयार करना आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

- गांव के उद्योग एवं गांव के व्यापार के विकास के द्वारा ही वहां के निवासियों को पर्याप्त रोजगार दिया जा सकता है। हमें इसी उद्देश्य से काम करने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से राज्य में हर गांव के मुद्दे को उचित प्लेटफॉर्म पर उचित तरीके से रख पाना संभव होगा और उसके बाद ही हम व्यापक रूप से राज्य का विकास करने में सफल होंगे।

- अंत में, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी दलगत हितों से ऊपर उठकर राज्य हित में काम करें। जनप्रतिनिधिगण का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे राज्य की जनता एवं गांव की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करे। यह आपका नैतिक और वैधानिक दायित्व है कि जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करें।

- यह पंचायतों सहित सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दायित्व है कि कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रखते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करे। इसके लिए पूरे देश में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार किया जाए, जिसका अनुसरण देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं करें।

- अंत में मेरा सुझाव है कि अपने साथियों से विचार साझा करने की पद्धति अपनाएं, नवाचारों के विषय में विचार विनिमय करें तथा बेस्ट प्रैक्टिसेज का आदान-प्रदान करें। आप **"पहुँच और परिचय कार्यक्रम"** का अधिकतम लाभ उठायें। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस कार्यक्रम को उपयोगी पाएंगे।

- मैं अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कथन से समाप्त करना चाहूंगा जो उन्होंने हाल ही में हमारे नए संसद भवन की आधारशिला रखने के लिए आयोजित ऐतिहासिक समारोह के दौरान कही थी कि “भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र, सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। **भारत के लिए लोकतंत्र में, जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है।" लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई होने के नाते आपका यही मूल मंत्र होना चाहिए। धन्यवाद।**